...मय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

1/18572 पवन मोहनसिंह वगैरा

तारीख रजू ....

बनाम ....

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...2022	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री कृपाशंकर शंकर शर्मा ने पेश किया। कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी दिनांक 12.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
...7/22	मुताबिक [illegible] P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पेश हो।	
...22	वकील उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] की तलवी दिनांक 5/8/22 को पेश हो। SDOK	
5/8/22	मुताबिक [illegible] P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 17/10/22 को पेश हो।	
17/10/22	वकील .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 18/7/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते [illegible] दिनांक 27/1/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

18/12/23	कार्यवाही उपस्थित नहीं। वकील व अन्य वादी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः दावा वादी वकील की अदम पैरवी/अदम हाजरी में [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली में मल सुपुर्द होकर [illegible] बाद तकमील जिला [illegible] भण्डार की सुपुर्द हो SDO उपखण्ड अधिकारी, (कठूमर, अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/72/2022

वउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर

--------वादीयागण

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर

--------प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :--श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट--वकील वादीयागण

पैरोकार सरकार-- प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 04.01.2024

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे. 572 रकवा 0.51 हे. 574 रकवा 0.29 हे. किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना व खसरा नम्बर 371 रकवा 0.73 हे. 386 रकवा 0.57 हे. किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 एयर वाके ग्राम भोजपुरा जो वादीयागण की व आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर वाके ग्राम सुण्डियाना प्रतिवादी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। वादियागण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी काश्त की सुविधा हेतु अपनी आराजीयात का आपस में तबादला कर लिया तथा वादियागण की आराजी खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 हे. भूमि वाके ग्राम भोजपुरा प्रतिवादी सं0 1 ने ले ली व प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर भूमि वाके ग्राम सुण्डियाना को वादियागण ने ले लिया। इस प्रकार तबादला की गयी भूमि पर वादियागया एंव प्रतिवादी सं0 1 काबिज हो गये तथा प्रतिवादी सं0 2 के तबादला स्वीकृति को

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उप पंजीयक कठूमर के यहां विनिमय विलेख दिनांक 15.06.2020 को पंजीवद्ध करा लिया तथा बढी हुई 3.67 एयर भूमि की अलग से पंजीयन फीस व स्टाम्प डयूटी जमा करा दी। जब वादियागण ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल कराने हेतु प्रतिवादी सं0 2 को दिया तो प्रतिवादी सं0 2 ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल करने से मना कर दिया। प्रतिवादी सं0 2 ने वादियागण को यह भी धमकी दी कि यदि रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं हो रहा है तो इनको निरस्त कराओ तथा अपनी अपनी जमीनों पर वापिस काबिज हो जाओ जबकि वादियागण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी अपनी बदली हुई जमीनों में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। जबकि इस इस प्रकार से पक्षकारान के पध्य भूमि का तबादला करने की स्वीकृति प्रतिवादी सं0 2 ने ही दी थी। रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं होने से वादियागण के सामने काफी परेशानी हो रही है। वादियागण ने दावा इस्तकरारहक पेश कर दावा मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाव पेश कर वाद वादियागण मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने की सहमति दी है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 विनिमय विलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सुण्डियाना प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श 3 व पी 4 पेश की हैजो शामिल पत्रावली है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह स्वंय वादिया उर्मिला PW1 के वयान पंजीवद्ध कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयागण ने अपनी वहस में कथन किया कि वादियागण व प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सहमति से अपनी अपनी आराजी का प्रतिवादी सं0 2 से तबादला नामा स्वीकृत कराकर विनिमय विलेख उप पंजीयक कठूमर के यहां विधिनुसार पंजीवद्ध कराया था। जो विनिमय विलेख रजिस्टर्ड है। मुताविक तबादला वादियागण व प्रतिवादी सं0 1 आपस में सहमति से बदली गयी आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। वादियागण ने उक्त रजिस्टर्ड विनिमय विलेख का इन्तकाल कराने प्रतिवादी सं0 1 को दिया तो उसने मना कर दिया। प्रतिवादी सं0 1 ने वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार कर ईकवाल जवाव पेश किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों, वादिया उर्मिला के वयानों व प्रतिवादी सं0 1 के इकवाल जवाव से वाद वादियागण पूरी तरह साबित है। इस वजह से वाद वादियागण मुताविक अनुतेश डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड रजिस्टर्ड विनिमय विलेख वादिया उर्मिला के वयान तथा प्रतिवादी सं0 1 के ईकवालिया जवाब का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

यह साबित है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी अपनी आराजी का तबादला कराने हेतु प्रतिवादी सं0 2 से तबादला करने की स्वीकृति प्राप्त कर ही विनिमय विलेख उप पंजीयक कठूमर से तस्दीक कराया है तथा बढ़े हुये रकबा की पंजीयन फीस व स्टाम्प ड्यूटी भी सरकार को अदा की गयी है। विनिमय विलेख रजिस्टर्ड दस्तावेज है प्रतिवादी सं0 1 के इकबालिया जवाब के मुताबिक तबादला विवादित आराजी पर पक्षकारान का कब्जा साबित है। रजिस्टर्ड विनिमय विलेख के आधार पर व मुताबिक अनुतोष दावा वादीगण डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सहमति दी है। अतः दावा वादीगण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण इस्तकरारक व हुक्मइम्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 671 रकबा 1.08 है., 672 रकबा 0.51 है., 671 रकबा 0.29 है. किता 3 रकबा 1.88 है. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर जि0 वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजद करने के आदेश दिये जाते है।तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में तदनुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सुनील कुमार अग्निहोत्री
उपखण्ड अधिकारी
(आईएएस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 4.1.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार सिसोदिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगानियां आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1 / 72 / 2022

वउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवाासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर।

------डिक्रीदारान

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

--------मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादियागण इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकरआराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे., 572 रकवा 0.51 हे., 574 रकवा 0.29 हे. किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर का वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 4.1.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

सुनील कुमार झिंगानियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

1/135/23 तारीख रजू..........................

रचना देवी — बनाम — प्रकाश वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकिल वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकिल श्री कृपादयाल राणा एड0 ने उपस्थिति होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर। पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादीगण दिनांक 26.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
26/6/23	मुताबिक रीडर P.O बाइज [illegible] पत्रावली दिनांक 14/8/23 को पेश हो।	
14/8/23	वकील वादी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 14/6/23 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] दिनांक 9/10/23 ....को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9.10.23	[illegible] ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 14/8/23 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] दिनांक 21/11/23 .... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	21/12/23 वकील वादी ... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रा. मो वास्ते ... [illegible] दिनांक 09/2/24 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
09/2/24	वकील वादी उपस्थित नहीं आये वकील व उनके वादी को बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः दावा वादी वकील के अदम पैरवी - अदम हाजरी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] तहसील जिला [illegible] भिजवाई जावे। [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

ाईल नंबर

ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अधिवक्ता 2/126/2023

तारीख रजू.........................

रचना देवी **बनाम** प्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2078, वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।चूकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 26.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
26/6/23	मुजाब संरोकेन ए०/P.O बाइस [illegible] त्वावकी दिनांक 14/8/23 को पेश हो।	
14/8/23	वकिल प्रार्थी .... उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक .... 14/6/23 की पालना में पत्रा .... तलबी अप्रा० [illegible] दिनांक........9/10/23 .... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	वकील प्रार्थी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 14/6/23 की पालना में पत्रा[व]ली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 21/12/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 21/12/23 वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक की पालना में पत्रा[व]ली वास्ते तलबी रजिस्टर दिनांक 09/2/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
9/2/24	वकील प्रार्थी उप० नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी के अदम पैरवी अदम हाजरी में प्रार्थना-पत्र बदस्तूर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद [illegible] के साथ [illegible] रहे। हुक्म उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	